छत्तीसगढ़ शासन
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर जिला रायपुर

क्र FINACC-36/500/2026-ENIC PWD SECTION/T-2 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक20-02-2026

प्रति,

प्रमुख अभियंता,
लोक निर्माण विभाग,
निर्माण भवन, नवा रायपुर अटल नगर रायपुर (छ.ग.)

विषय: वर्ष 2024-25 के बजट में शामिल जिला रायपुर के उरला पठारीडीह बेरला मार्ग पर (एम.डी.आर.नं. 396) में खारून नदी पर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करने बाबत्। (मद क्र. 1735)

संदर्भ: आपका पत्र क्रमांक 1735/02/कार्य-सेतु/प्राक्कलन/2024-25/447 दिनांक 06.01.2025

---000---

राज्य शासन एतद् द्वारा विषयांकित कार्य के लिये **रूपये 1636.54 लाख (रूपये सोलह करोड़ छत्तीस लाख चौवन हजार मात्र)** की प्रशासकीय स्वीकृति,वित्त विभाग द्वारा दी गयी सहमति के अनुसार निम्न शर्तो के साथ प्रदान करता है:-

1. कार्य की तकनीकी स्वीकृति (T.S.) सक्षम अधिकारी से प्राप्त करने के उपरांत ही निविदा आमंत्रित की जाये तथा कार्य नियमावली एवं शासकीय नियमों/निर्देशों में निर्दिष्ट समस्त औपचारिकताओं का पूर्णतः पालन सुनिश्चित करने के उपरांत ही कार्य प्रारंभ किया जाये।
2. कार्य की ड्राईंग व डिजाईन कर सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदन सुनिश्चित किया जाये।
3. प्रस्तावित निर्माण कार्य की निविदा कम से कम 90 प्रतिशत बाधा रहित भूमि उपलब्ध होने पर ही की जाये।
4. कार्य में यदि भू-अर्जन प्रस्तावित है तो स्वीकृत राशि की सीमा के अंतर्गत ही विधिवत भू-अर्जन हेतु व्यय किया जाये। किसी भी स्थिति में किसी अन्य मद की बचत राशि से भू-अर्जन की कार्यवाही बिना पूर्व स्वीकृति प्राप्त किये न किया जाये।
5. यदि कार्य में भू-अर्जन प्रस्तावित नहीं है तो प्रस्ताव अनुसार शासकीय भूमि पर ही निर्माण कार्य कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। भूमि का आबंटन सक्षम अधिकारी से करा लिया जाये।
6. कार्य की निविदा समय सीमा में कर ली जाए। निविदा प्रक्रिया निष्पक्ष एवं पारदर्शी हो व निविदा में पर्याप्त प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित की जाए।
7. शीर्ष में उपलब्ध आबंटन की सीमा में ही व्यय सुनिश्चित किया जाये। सीमा से अधिक व्यय नहीं किया जाये।
8. निर्माण कार्य प्राक्कलन व कार्य संपादित करने में मितव्ययिता सुनिश्चित करें।
9. कार्य की निविदा दर 10 प्रतिशत से अधिक प्राप्त होने पर अथवा मूल प्रस्ताव में प्रस्तावित कार्य की मात्रा में 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होने पर या नवीन कार्य जोड़े जाने पर या किसी भी स्तर पर निर्माण कार्य की प्रशासकीय स्वीकृत लागत तथा उपरोक्तानुसार स्वीकृत सीमा से अधिक राशि का दायित्व (Liability) निर्मित होने की स्थिति में निर्माण कार्य की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति तत्समय ही प्राप्त की जाये। बिना सक्षम स्वीकृति के अतिरिक्त दायित्व निर्मित न किये जाये।
10. कार्य में प्रयुक्त सामग्रियों एवं संपूर्ण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये। किसी भी स्तर पर कार्य की गुणवत्ता पर कमी पाये जाने पर उत्तरदायित्व का निर्धारण करते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाये।
11. अनुबंध अनुसार कार्य समयसीमा में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें। निर्माण कार्य में समय वृद्धि (Time Extention) नियमानुसार अर्थदण्ड सहित अधिरोपित किया जाये। कार्य पूर्ण किये जाने हेतु अनावश्यक समय-सीमा वृद्धि (Time Extention) न की जाये। अपरिहार्य एवं नियंत्रण से बाहर मान्य

कारणों के आधार पर ही सक्षम अधिकारी द्वारा समय-सीमा में वृद्धि की जा सकेगी।
12. राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी नियमों/निर्देशों के अंतर्गत प्रस्ताव की उपयुक्तता (Viability) का आंकलन सुनिश्चित कर लिया जाये। प्रस्ताव लोकहित के मूल भावना के अनुरूप हो।
13. उपरोक्त प्रशासकीय स्वीकृति पर सहमति वित्तीय दृष्टिकोण से दी जा रही है। कार्य के तकनीकी पहलुओं यथा कार्य का चयन, कार्य स्थल की उपयुक्तता, कार्य की गुणवत्ता, प्राक्कलन की सटीकता, कार्यपूर्णता हेतु समय-सीमा, वित्तीय अनुशासन एवं प्रचलित नियमों/प्रावधानों का पालन सुनिश्चित किये जाने का दायित्व प्रशासकीय विभाग का होगा।
14. कार्य का व्यय मांग संख्या/शीर्ष 24/5054-(03)-(101)-0101-(4151) वृहद पुलों का निर्माण #26 वृहद निर्माण कार्य के अंतर्गत विकलनीय होगा।
15. उक्त कार्य की निविदा की कार्यवाही प्रमुख अभियंता कार्यालय में गठित निविदा प्रकोष्ठ से कराया जाना सुनिश्चित करें।
16. प्रस्ताव अनुसार भू-अर्जन हेतु राशि स्वीकृत है, अतः स्वीकृति के सीमान्तर्गत ही विधिवत भू-अर्जन हेतु व्यय किया जावें।भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित नीजि भूमि के स्वामित्व, रकबा तथा भू-अर्जन हेतु लागू दर का गहन परीक्षण/जांच राजस्व विभाग के सक्षम स्तर से कराने के बाद ही भू-अर्जन हेतु विधिवत कार्यवाही किया जावे। साथ ही साथ यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि प्रस्तावित नीजि भूमि का पूर्व में भू-अर्जन/अधिग्रहण नही हुआ है और न हीं राहत कार्य के तहत् निर्मित है। इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि एवं आधिक्य हेतु संबंधित अधिकारी पूर्णतः जवाबदार होंगे।

यह स्वीकृति वित्त विभाग के ई-फाईल क्रमांक **FINACC-36/579/2026-FINANCE**, दिनांक 19.02.2026 द्वारा प्राप्त सहमति अनुसार जारी की जाती है ।
सहपत्र: शून्य ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

Digitally signed by
SATYA NARAYANA SHRIVASTAVA
Date: 20-02-2026 15:53:29

(एस.एन. श्रीवास्तव)
अपर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, लोक निर्माण विभाग

पृ.क्र FINACC-36/500/2026-ENIC PWD SECTION/T-2 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक20-02-2026
प्रतिलिपि:
1/ विशेष सहायक, माननीय उपमुख्यमंत्री, छ.ग. शासन लो.नि.वि. मंत्रालय नवा रायपुर अटल नगर रायपुर की ओर सूचनार्थ।
2/ सचिव, छ.ग.शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय नवा रायपुर अटल नगर रायपुर।
3/ महालेखाकार, (छ.ग.) जीरो प्वांईट बलौदाबाजार मार्ग रायपुर ।
4/ मुख्य अभियंता, लो.नि.वि., सेतु परिक्षेत्र रायपुर।
5/ अधीक्षण अभियंता, लो.नि.वि., सेतु मंडल रायपुर।
6/ कार्यपालन अभियंता, लो.नि.वि., सेतु संभाग रायपुर।
7/ बजट शाखा प्रमुख अभियंता, कार्यालय (कृपया वर्ककोड तत्काल जनरेट करें)
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
8/ आर्डर बुक हेतु ।
सहपत्र:- स्वीकृत प्राक्कलन स.क्र. 6 हेतु।

--sd--
अपर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, लोक निर्माण विभाग